न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 214/2022
जीसीएमएस संख्या–2022/287

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
मेराराम पुत्र बागाराम जाति राईका निवासी जालीवाड़ाखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		1 सुआदवी पत्नी शोभाराम जाति राईका निवासी जालीवाड़ाखुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर 2 भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता — दर्ज दिनांक 04/07/2022

श्री पृथ्वीराज चौहान–प्रार्थी की ओर से

श्री अभिषेक कच्छावाह –अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 08/12/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम जालीवाड़ाखुर्द पटवार क्षेत्र नानण तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 78/1 क्षेत्रफल 1.7394 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी का 3/4 हिस्सा निहीत है एंव अप्रार्थी संख्या एक का 1/4 हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक अपनी सहुलियत अनुसार काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के तीन तरफ रास्ता स्थित है एव पूर्वी दिशा की तरफ खसरा नबंर 78/5 व 259/78 की भूमि स्थित हैं इसके बावजुद खसरा नंबर 78/5 व 259/78 के खातेदार हर समय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के खसरा नबंर 78/1 की माठ को लेकर हर समय लडाई झगडा करते है तथा खसरा नबंर 78/1 की भूमि को हर समय अपनी भूमि बताते है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के मौके पर सीमाज्ञान को लेकर गम्भीर विवाद है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नबर 78/1 की बाद सीमाज्ञांन के पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि भविष्य में भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हो लेकिन न्यायालय के आदेश के बिना उक्त कानूनी कार्यवाही सम्भव नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी, तरमीमशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवानें व पत्थरगढ़ी करवानें का विधिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थी द्वारा अप्राथी संख्या दों को पत्थरगढ़ी व सीमाकंन के लिए दिनांक 21.05.2022 को निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या दों द्वारा बताया गया कि इसके लिंए वह सक्षम नहीं है व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सीमांकन व पत्थरगढी करने का आदेश लाने की बात कही गई जिस पर उक्त प्रार्थनापत्र वास्ते सीमांकन व पत्थरगढी करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जालीवाड़ाखुर्द पटवार क्षेत्र नानण तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

78/1 क्षेत्रफल 1.7394 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि के चारो तरफ सीमांकन कर चारो ओर मुटाम कायम कर पत्थरगढी करने के आदेश फरमायें जाने तथा विवाद होने पर मौके पर जरूरत पडने पर पुलिस इमदाद सहित सीमांकन व पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कच्छावाह ने वकालतनामा पेश किया, अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम जालीवाड़ाखुर्द पटवार क्षेत्र नानण तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 78/1 का सीमाज्ञान एव पत्थरगढ़ी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि कहा कि ग्राम जालीवाड़ाखुर्द पटवार क्षेत्र नानण तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 78/1 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है। भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने भी अनापत्ति जाहीर की ।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवकलोकन एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रांथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम जालीवाड़ाखुर्द पटवार क्षेत्र नानण तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 78/1 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे।इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो । तहसीलदार पीपाड़ शहर बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 08/12/2015 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर